"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अगस्त 2017 —— भाद्रपद 4, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-07/2008/नौ/55-4. —— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर क्रमांक एफ 21-7/2008/नौ/55- "छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2012" की कंडिका 4 की उपकंडिका 4 के (1 एवं 2) में संशोधन एवं कंडिका 09 में उपकंडिका 19 के पश्चात् क्रमश: 20 एवं 21 निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती है :-

उपकंडिका (4) नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें :-

(1) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें :-

क्रमांक	नर्सिंग पाठ्यक्रम	अर्हताएं	प्रशिक्षण अवधि	परीक्षा एजेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बी. एस. सी. (पोस्ट बेसिक) नियमित	जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाफरी उत्तीर्ण, राज्य नर्सिंग परिषद में पंजीयन	02 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा/ संचालनालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जावेगा.
2.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लीनिकल स्पेशियलिटी	पंजीकृत नर्स (जी. एन. एम. या बी. एस. सी.)	01 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से किया जावेगा.
3.	बी. एस. सी. (बेसिक)	परीक्षा (10+2) बारहवीं में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में उत्तीर्ण तथा भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तीनों विषयों	04 वर्ष	व्यापम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		को जोड़कर न्यूनतम 45 प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण एवं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत)		
4.	एम. एस. सी.	3. न्यूनतम 55 प्रतिशत एग्रीगेट अंको के साथ बी. एस. सी. नर्सिंग/ बी. एस. सी. आनर्स, नर्सिंग/पोस्ट बेसिक नर्सिंग उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 05 प्रतिशत शिथिलनीय) 4. बेसिक बी. एस. सी. उपरांत 1 वर्ष का अनुभव अथवा पोस्ट बेसिक बी. एस. सी. नर्सिंग के पूर्व अथवा पश्चात् 1 वर्ष का अनुभव	02 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा/ संचालनालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जावेगा.

(2) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम अर्हतायें :-

क्रमांक	नर्सिंग पाठ्यक्रम	अर्हताएं	प्रशिक्षण अवधि	चयन का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जनरल नर्सिंग एंड मिडवाफरी	12वीं उत्तीर्ण न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण एवं आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत	03 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रवेश हेतु चयन बारहवीं कक्षा की प्रवीणता एवं विज्ञान विषय वालों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा.

कंडिका 9. संवीक्षा एवं काउंसिलिंग :-

(20) भारतीय उपचर्या परिषद् (भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली) के समय-समय पर जारी संशोधित मापदण्ड, अर्हताएं एवं पाठ्यक्रम अवधि इत्यादि में लागू होंगे.

(21) शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों/ विद्यालयों की सीटें भर जाएंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.